झारखण्ड विधान-सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925 की धारा 2 के अंत में उपधारा 2(घ) का अंतःस्थापना।

3. बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925 की धारा 4 का निरसन एवं धारा 4(क)(ख) तथा (ग) का प्रतिस्थापन।

4. बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925 की धारा 8 का निरसन एवं धारा 8(क) तथा (ख) का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना :—13वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं इस संदर्भ में केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु यह आवश्यक हो गया है कि "बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925" जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 के तहत् झारखण्ड राज्य में भी प्रभावी है, में अपेक्षित संशोधन किया जाय। इस निमित्त संशोधन विधेयक प्रस्तावित है।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—**

   (i) यह अधिनियम झारखण्ड स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925 की धारा 2 के अंत में उपधारा 2(घ) को निम्नवत् अंतःस्थापित की जायेगी, यथा —**

   स्थानीय निकायों से अभिप्राय पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से है।

3. **बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925 की धारा 4 का निरसन एवं धारा 4(क)(ख) तथा (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी :—**

   (क) स्थानीय निकायों के लेखाओं की जाँच एवं संपरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अथवा समकक्ष प्राधिकार के द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/अनुबंधित अंकेक्षक अथवा सनदी लेखाकार के माध्यम से करायी जायेगी।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, स्थानीय निकायों के लेखाओं के समुचित संधारण एवं लेखा संपरीक्षा हेतु तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (TGS) प्रदान करेंगे।

(ग) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा के कार्यालय का सृजन, नियुक्ति, इसके अधिकार दायित्व एवं कार्यकलाप को यथापेक्षित अधिसूचित कर सकेगी।

4. बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अधिनियम, 1925 की धारा 8 का निरसन एवं धारा 8(क) तथा (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी :–

(क) स्थानीय निकायों के लेखाओं की नमूना जाँच एवं तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (TGS) के आधार पर भारत के नियंत्रक महलेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक जाँ प्रतिवेदन तैयार की जायेगी।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार वार्षिक जाँच प्रतिवेदन के साथ निदेशक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो उनको राज्य के विधान–मंडल के समक्ष रखवायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 29 मार्च, 2012 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 29 मार्च, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 151--50--30-03-2012 ।